

केम खानपुरखडौदा पर पेश है। वादीगण  
 शान्ती, निहाली तथा प्रतिवादी चासीलाल उपर  
 राजा ने राजीनामा इस आशय का पेश  
 किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं० १ की  
 लैंक अदालत में सम्मत्ता की गई। जिस पर  
 प्रतिवादी सं० १ ने वादिया शान्ती व निहाली  
 के साथ में मृतक गरीबा जो वादिया व प्रति०  
 १ व २ के पिता हैं, का नाम गरीबा के वारिस  
 के रूप में स्वातेदारी में दर्ज करने पर सहमती  
 दी है। वादिया का नाम जमाबंदी में चासी, छोटे लाल  
 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जावे तथा  
 जमाबंदी में शान्ती, निहाली पुत्रियां गरीबा दर्ज  
 कर दिया जावे। उक्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी  
 सं० १, २ व गरीबा की पत्नी नारायणी के साथ  
 समाप्त रूप से हिस्सेदार व स्वातेदार है। इसी  
 अनुसार दावा का निर्णय कर दिया जावे।

नि. शान्ती  
 नि. निहाली  
 चासीलाल


प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया।  
 अधिकारों को सुना। वादीगण मृतक गरीबा की  
 पुत्रियां हैं। इसलिए वे गरीबा की भूमि में हिस्सा  
 प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः राजीनामा स्वीकार  
 किया जाकर भूमि खण्ड नं०  $\frac{1008}{0.25}$ ,  $\frac{1008/1107}{0.21}$ ,  $\frac{1012}{0.40}$ ,  
 $\frac{1013}{0.37}$  ग्राम खानपुरखडौदा में वादीगण को उनके  
 पिता गरीबा की भूमि में दर्ज स्वातेदारों चासीलाल,  
 छोटे लाल पुत्र गरीबा व नारायणी के साथ गरीबा  
 के साथ साथ स्वातेदार का इतकार घोषित किया  
 जाता है। तदनुसार उपरोक्त नम्बरों में वर्तमान इन्दाजक के  
 वादिया शान्ती पुत्री गरीबा पत्नी प्रभाती जाती  
 के साथ निवासी मच्छीपुरा तलाव का  $\frac{1}{40}$  हिस्सा,  
 निहाली पुत्री गरीबा पत्नी टीकाराम जाती के साथ  
 निवासी लुहारखेड़ा तहसील रोडाभीम का  $\frac{1}{40}$   
 हिस्सा, प्रतिवादी चासी पुत्र गरीबा जाती के साथ  
 का  $\frac{1}{40}$  हिस्सा, छोटे लाल पुत्र गरीबा जाती  
 के साथ का  $\frac{1}{40}$  हिस्सा, नारायणी पत्नी स्व गरीबा

इन्दाजक के

वादी  
 कराने  
 वादी  
 वादी  
 वादी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अदकाम में ज
---------------	---------------------------------	-------------------------

जाति बैरवा का 1/50 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार  
वर्तमान रेकार्ड में इन्फ्रज दुकस्ती को जावे।  
पच डिग्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार  
दोकर नम्बर से कम हो एवं काद तकमील  
धारिण दफतर हो।

  
 (रवि कुमार शर्मा) (सतीश कुमार शर्मा) (कादू लाल शर्मा)  
 सडवोकेट सदस्य सडवोकेट सदस्य अध्यक्ष  
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत  
 गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी  
 उप जिला कलेक्टर  
 गंगापुर सिटी

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म क  
में जा

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खानपुर बडौदा

पीठासीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

### उनवान

शक्ति पुत्र गरीबा, बैरवा पत्नी प्रभाती निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी

निहाली पुत्री गरीबा, बैरवा पत्नी टीकाराम निवासी लुहारखेडा पो0 मोरडा तह0 टोडाभीम ---वादीगण

### बनाम

घासीलाल पुत्र गरीबा, बैरवा निवासी गंगाजी की कोठी, खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी

छोटेलाल पुत्र गरीबा, बैरवा निवासी गंगाजी की कोठी, खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी

कैम्प होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

### दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दस्तावेज नं. - 46/2016

वादी की ओर से वादिया शांति, निहाली की व प्रतिवादी की ओर से घसीडा की उपस्थिति में  
वाद मे आज तारीख 25.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे  
लिए पैह होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 1008 रकबा 0.25 है0,  
1011 रकबा 0.21 है0, 1012 रकबा 0.40 है0, 1013 रकबा 0.37 है0 ग्राम खानपुर बडौदा मे  
गण को उनके पिता गरीबा की भूमि मे दर्ज खातेदारो घासीलाल, छोटेलाल पुत्रान गरीबा व  
पत्नी बैरवा गरीबा के साथ साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार उपरोक्त  
वादी मे वर्तमान इन्द्राज के स्थान पर वादिया शांति पुत्री गरीबा पत्नी प्रभाती जाति बैरवा निवासी  
गंगापुर सिटी का 1/40 हिस्सा, निहाली पुत्री गरीबा पत्नी टीकाराम बैरवा निवासी लुहारखेडा, तह0  
गंगापुर सिटी का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी घासी पुत्र गरीबा बैरवा का 1/40 हिस्सा, छोटेलाल पुत्र गरीबा,  
तह0 गंगापुर सिटी का 1/40 हिस्सा, नारायणी पत्नी स्व0 गरीबा, बैरवा का 1/40 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार  
अपना हिस्सा मे दुरुस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

उपर्य पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 25.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



बाबूलाल जाट  
उपखंड अधिकारी जाट  
गंगापुर सिटी कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (सं०मा०)

### वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
आदेशिका की फीस		आदेशिका की फीस	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	